निर्देश सं. 79

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्तीके क्षेत्रों में
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग
17वीं मंजिल, जवाहर व्यापार भवन (एसटीसी बिल्डिंग)
टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली- 1 1000 1
दिनांक:13.02.2024

फा . सं. ए- 1 10018/01/ 2021 -सी एक्यूएम/ 751

विषय: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2O2l की धारा 12 के तहत निदेश- एनसीआर में निर्माण एवं विध्वंस गतिविधियों से होने वाले वायु प्रदूषण की रोकथाम एवं कम करना

1. जबकि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2O21 की धारा 12(1) के तहत आयोग को अधिकार है कि एन सी आर और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता को संरक्षित करने और सुधार करने के उद्देश्य से ऐसे सभी उपाय करें, निदेश आदि जारी करें जैसा कि वे आवश्यक व व्यावहारिक समझें |

2. जबकि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2O21 की धारा 12(2) (XI) आयोग को शक्ति देती है कि वे किसी व्यक्ति,अधिकारी या किसी प्राधिकारी को लिखित में आदेश जारी करें और ऐसे व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे आदेश को मानने को वाध्य होगें |

3. जबकि, निर्माण एवं विध्वंस गति विधियों से निकले वाली धूल क्षेत्र में अन्य स्रोतों के साथ वायु प्रदूषण का एक बड़ा निरंतर स्रोत है और इन गतिविधियों से उत्पन्न धूल बड़ी मात्रा में पी एम 2.5/ पी एम 10 के स्तर में बढोत्तरी करती है |

4. जबकि, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 06 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने "निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016" को अधिसूचित किया जिसमें अन्य बातों के साथ –साथ, विभिन्न सम्बंधित एजेंसियों के कर्तव्यों को विस्तार से बताया गया | इसके अलावा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने निर्माण एवं विध्वंस गतिविधियों से धूल की रोक थाम, नियंत्रण और शमन उपायों पर दिशा निर्देश जारी किये |

5. जबकि, निर्माण एवं विध्वंस परियोजनाओं से धुल कम करने हेतु आयोग ने सलाह, आदेश और निर्देश जारी किये जिसमें निर्माण एवं विध्वंस गतिविधियों की दूरस्थ निगरानी "रिमोट मोनिटरिंग के लिए वैधानिक निदेश जारी किये और एन सी आर के प्रत्येक राज्य/एन सी टी दिल्ली में समर्पित वेब पोर्टल के माध्यम से निगरानी की व्यवस्था की और कुल निर्माण क्षेत्र के अनुपात में पर्याप्त संख्या में एंटी-स्मोग गनों के अनिवार्य प्रयोग के लिए वैधानिक निदेश जारी किये गए |

6. जबकि, आयोग द्वारा गठित उड़न दस्तों द्वारा सी एंड डी परियोजना गतिविधियों का नियमित ऑन साईट निरीक्षण किया जाता है |
7. जबकि, ऐसे निरीक्षण आम तौर पर असन्तोष जनक स्तर का संकेत देते हैं और निर्माण एवं विध्वंस परियोजना प्रस्तावकों के सम्बन्ध में उनके परियोजना स्थलों पर विभिन्न वैधानिक निदेशों / नियमों / आदेशों / दिशा निर्देशों के अप्रभावी कार्यान्वयन का संकेत देते है जिसमें निर्माण सामग्री / विध्वंस के मालबे का परिवहन भी शामिल है |

8. जबकि, ऐसे सकल उल्लंघन के मामलों में सीएक्यूएम बंदी आदेश जारी करने के लिए विवश हो जाता है और ऐसी परियोजनाओं में सी एंड डी गतिविधियाँ बहाल करने से पहले परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उचित रोकथाम एवं सुधारात्मक कारवाई शुरू करने का आदेश दिया जाता है |

9. जबकि, ऐसे बहुत से मामलों में, प्रस्तावक आयोग द्वारा जारी काम बंदी आदेशों की अवहेलना करते है, निर्माण गति विधियाँ जारी रखते हैं और धूल प्रदूषण को कम करने के लिए सुधारात्मक / रोकथाम उपायों को लागू किये बिना निर्माण गतिविधियाँ जारी रखते है और आयोग द्वारा पुनरारंभ आदेश जारी किये बिना निर्माण कार्य चलता रहता है |

10. जबकि, उपरोक्त परिस्थितियों पर विचार करते हुए वायु प्रदूषण को कम करने के काम को आगे बढ़ाते हुए इस सम्बन्ध में नियमों / विनियमों के बेहतर / प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक सलाह जारी की गई थी कि पूर्णता प्रमाण पत्र (सी सी) / अधिभोग प्रमाण पत्र (ओ सी) किसी भी निर्माण परियोजना को तब तक जारी नहीं किया जायेगा, जब तक आयोग द्वारा जारी बंदी आदेश लंबित पड़ा हो |

11. जबकि, इस सम्बन्ध में दिनांक 06.04.2023 के परामर्श के बावजूद धूल कम करने के लिए उचित सुरक्षा उपायों के बिना निरंतर निर्माण गति विधियों के उदाहरण मिलते है, जहाँ विशिष्ट निर्देश जारी किये गए थे कि निर्माण गतिविधियों को बंद कर दिया जाये | इसके बाबजूद भी आयोग की जानकारी में है कि ऐसे गतिविधियाँ अभी जारी हैं |

12. अब, इस लिए पर्यावरण सुरक्षा के हित में और मानव स्वास्थ्य पर धूल प्रदूषण के खतरे और इस मामले में वैधानिक निदेशों / नियमों / विनियमों के बेहतर / प्रभावी अनुपालन के लिए यह निदेश दिया जाता है कि पूर्णता प्रमाण पत्र (सी सी) /अधिभोग प्रमाण पत्र (ओ सी) जारी करने के लिए उत्तरदायी एजेंसियां किसी भी ऐसी परियोजना के मामले में जहाँ आयोग ने काम बंदी आदेश जारी किया हो, और ऐसा आदेश लंबित हो तो पूर्णता प्रमाण पत्र / अधिभोग प्रमाण पत्र प्रभारी / जिम्मेदार एजेंसी द्वारा जारी नहीं किया जायेगा | सम्बंधित एजेंसियां उन संस्थाओं की सूची का उल्लेख कर सकती है जिनके बहाली आदेश अभी तक जारी नहीं किये गए (सूची साप्ताहिक आधार पर अद्यतन की जाती है) आवेदनों पर सी सी / ओ सी जारी करने के लिए विचार करते समय आयोग की वेव साईट www.caqm.nic.in पर संस्थाओं / इकाइयों की सूची देखी जा सकती है |

13. सी सी / ओ सी जारी करने के लिए जिम्मेदार एजेंसिंयों को इन अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना होगा | सी सी / ओ सी जारी करने वाली एजेंसियों की सूची सम्पूर्ण नहीं है | कुछ अन्य एजेंसियां भी हो सकती हैं जो नीचे सूची बद्ध नहीं है और सम्बंधित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / समिति आयोग को सूचना देते हुए उपयुक्त निर्देश जारी कर सकते है | यह सुनिश्चित करने के लिए आयोग को सूचित करें कि दिल्ली एन सी टी की सभी एजेंसियाँ और गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, के शहर / कस्वे, गाज़ियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, बागपत, भिवाड़ी और अलवर सम्मिलित है |

हस्ता०

(अरविन्द नौटियाल)
सदस्य सचिव
दूरभाष सं. 011-23701197
ईमेल: arvind.nautiyal@gov.in

सेवा में,

दिल्ली

1. अध्यक्ष, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी), पालिका केंद्र, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

2. आयुक्त, दिल्ली नगर निगम, सिविक सेंटर, चौथी मंजिल, मिंटो रोड, दिल्ली-110002

3. उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), बी ब्लॉक, प्रथम तल, विकास सदन, आईएनए, नई दिल्ली-110023

उत्तर प्रदेश

4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नोएडा, प्रशासनिक परिसर सेक्टर 6, नोएडा - 201301, जिला- गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, भारत।

5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्रेटर नोएडा, प्लॉट नं. 01, नॉलेज पार्क-O4, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश 201308

6. उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, विकास पथ, पुराना बस स्टैंड, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201001

7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, यूपीएसआईडीए कॉम्प्लेक्स, ए-1 /4 लखनपुर कानपुर-208024

8. आयुक्त, उ0प्र0 आवास विकास परिषद, गाजियाबाद

9. उपाध्यक्ष, बागपत एवं खेकड़ा विकास प्राधिकरण, बागपत,

हरियाणा

10. प्रशासक, एचएसवीपी, गुरूग्राम, प्रशासक हुडा, सेक्टर 14, गुरूग्राम

11. प्रशासक, एचएसवीपी, फरीदाबाद, हुडा कार्यालय, सेक्टर-12, फरीदाबाद

12. आयुक्त, नगर निगम गुरूग्राम, सी 1, इन्फो सिटी, सेक्टर 34, गुरुग्राम, हरियाणा -122001

13. आयुक्त, नगर निगम मानेसर

14. आयुक्त, नगर निगम फ़रीदाबाद, बी.के चौकी, न्यू इंडस्ट्रियल टाउन, फ़रीदाबाद, हरियाणा- 121001

15. सीईओ, गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (जीएमडीए), 3, सेक्टर 44, गुरुग्राम, हरियाणा-I22OO3

16. सीईओ, फ़रीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (FMDA), सेक्टर 69, फ़रीदाबाद, हरियाणा-I2IOO4

17. वरिष्ठ नगर नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन, गुरूग्राम, हुडा कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 14, गुरुग्राम -I22OOI

18. सीनियर टाउन प्लानर, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, फ़रीदाबाद, एसटीपी, फ़रीदाबाद, हुडा कॉम्प्लेक्स, सेक्टर-12, फ़रीदाबाद

19. प्रबंध निदेशक, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचएसआईआईडीसी), प्लॉट नंबर: सी-13-14, सेक्टर 6, पंचकुला- 1341 09, हरियाणा

20. जिला नगर आयुक्त, झज्जर

21. कार्यकारी अभियंता, एचएसआईआईडीसी बहादुरगढ़, झज्जर

22. कार्यकारी अभियंता, एचएसवीपी बहादुरगढ़, झज्जर

23. जिला नगर योजनाकार, नगर एवं ग्राम नियोजन, झज्जर

24. आयुक्त, नगर निगम सोनीपत

25. जिला नगर योजनाकार, नगर एवं ग्राम नियोजन, सोनीपत

26. संपदा अधिकारी, एचएसवीपी सोनीपत

27. एजीएम, एचएसआईआईडीसी, बरही, सोनीपत

28. एजीएम, एचएसआईआईडीसी कुंडली सोनीपत

29. एजीएम एचएसआईआईडीसी, राई, सोनीपत

30. एजीएम, एचएसआईआईडीसी, खरखौदा सोनीपत

31. वरिष्ठ प्रबंधक एचएसआईआईडीसी, रोहतक

32. वरिष्ठ नगर नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन, रोहतक

33. आयुक्त, नगर निगम, रोहतक

34. प्रशासक, एचएसवीपी, रोहतक

राजस्थान

35. सीईओ, बीडा, एच-5, भगत सिंह कॉलोनी, यूआईटी, भिवाड़ी, राजस्थान 301019

36. आयुक्त, नगर परिषद भिवाड़ी 1/548, सेक्टर 1 रोड, सेक्टर 1, यू.आई.टी., भिवाड़ी, राजस्थान 301019

37. रेजिडेंट इंजीनियर, हाउसिंग बोर्ड, भिवाड़ी

38. सचिव, नगर सुधार न्यास (यूआईटी), अलवर

39. आयुक्त, नगर परिषद, अलवर, चर्च रोड, अलवर, राजस्थान ।

40. रेजिडेंट इंजीनियर, हाउसिंग बोर्ड, अलवर

प्रतिलिपि :

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, 101, लोक भवन, उ.प्र. सिविल सचिवालय, विधान सभा मार्ग, लखनऊ-226001.

2. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, सरकारी सचिवालय, जयपुर, राजस्थान - 302005।

3. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चौथी मंजिल, सिविल सचिवालय, सेक्टर - 1, चंडीगढ़।

4. मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, तीसरी मंजिल, दिल्ली सचिवालय, आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली - 110002

5. सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, टीसी -1 2वी, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226010.

6. सदस्य सचिव, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, 4, झालाना इंस्टीट्यूशनल एरिया, झालाना डूंगरी, जयपुर, राजस्थान-302004.

7. सदस्य सचिव, हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सी-11, सेक्टर 6, पंचकुला, हरियाणा- 134109।

8. सदस्य सचिव, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, 6 फीट मंजिल, सी विंग, दिल्ली सचिवालय, आईपी एस्टेट, दिल्ली - 110002

(अरविन्द नौटियाल)
सदस्य सचिव